

18वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

दिनांक: गुरुवार, 24 जून, 2021

Notice for 18th Annual General Meeting

Date: Thursday, 24th June, 2021



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

टेली/Tel.: 020 25511360 • ईमेल/Email: investor_services@mahabank.co.in

वेबसाइट/Website: www.bankofmaharashtra.in

अनुसूची / INDEX

नोटिस	03	Notice	19
टिप्पणियां	05	Notes	21
मद क्र. 2 और 3 के लिए स्पष्टीकरण कथन	13	Explanatory Statement to Item no.2 and 3	28
कानूनी प्रावधान	14	Legal provisions	29
नामांकन फार्म	33	Nomination Form	34
उम्मीदवारों द्वारा घोषणा और वचन	35	Declaration and Undertaking by the candidate	37
पीडीयू फॉर्म	39	PDU Form	43

18वीं वार्षिक साधारण बैठक / 18th Annual General Meeting

महत्वपूर्ण दिनांक और कार्यक्रम IMPORTANT DATES AND PROGRAMME

कार्यक्रम / Events	दिनांक / Date
शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन की प्रक्रिया में सहभाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों के निर्धारण हेतु निर्दिष्ट दिनांक Specified date for ascertaining the shareholders of Bank entitled to participate in the process of election of Shareholder Director	सोमवार 24 मई, 2021 Monday, 24 th May, 2021
नामांकन प्राप्त करने का अंतिम दिनांक Last date for receipt of nomination	बुधवार 09 जून, 2021 5.00 बजे सायं Wednesday, 09 th June, 2021 by 5.00 p.m
नामांकनों की संख्या Scrutiny of nominations	गुरुवार, 10 जून, 2021 Thursday, 10 th June, 2021
ई-वोटिंग अवधि E-Voting period	सोमवार 21 जून, 2021 को सुबह 9.00 बजे से बुधवार 23 जून, 2021 को शाम 5.00 बजे तक From 9.00 a.m, Monday, 21 st June, 2021 to 5.00 p.m, Wednesday, 23 rd June, 2021
बही बंद होना Book Closure	शुक्रवार, 18 जून, 2021 से गुरुवार 24 जून, 2021 तक Friday, 18 th June, 2021 to Thursday, 24 th June, 2021
वार्षिक साधारण बैठक का दिनांक और समय Date and time of Annual General Meeting	गुरुवार, 24 जून, 2021 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएस) से On Thursday, 24 th June, 2021 at 11.00 a.m (IST) through via Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

टिप्पणी: कृपया बैंक की 18वीं वार्षिक साधारण बैठक में वीसी या ओएवीएम द्वारा भाग लेने और शामिल होने से संबंधित निर्देशों के लिए पृष्ठ संख्या 7 या 23 देखें.
Note: Please refer to page no.7 or 23 for instructions related to participation and joining the 18th Annual General Meeting of Bank through VC or OAVM.



प्रधान कार्यालय: “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005.

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की अठारवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) गुरुवार, 24 जून, 2021 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा निम्नलिखित हेतु आयोजित की जाएगी :

सामान्य व्यवसाय :

मद क्रमांक 1

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते और उसी दिन समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, बैंक के खातों और तुलनपत्र व खातों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियों तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना।

विशेष व्यवसाय :

मद क्रमांक 2

एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से पूंजी उगाहना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“अधिनियम”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (“योजना”) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (“विनियम”), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/ या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमति, यदि कोई हो, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, और विनियम यथा सेबी (पूंजी जारी करना और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (“आईसीडीआर विनियम”) के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य लागू कानूनों व अन्य सभी संदर्भित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार यथा संशोधित/ अद्यतन दिशानिर्देशों, यदि कोई हों और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अधीन, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “**बोर्ड**” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई समिति जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार भारत और विदेशों में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणपत्र या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी सीमा के अंदर ₹ 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के, समग्र रूप से जो ₹ 5000/- करोड़ (पांच हजार करोड़ रुपए मात्र) से अधिक न हों, इक्विटी शेयरों का (फर्म आबंटन के लिए और/अथवा निर्गम का कोई भाग प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथासमय लागू कानून द्वारा अनुमत्य श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करेगा, ताकि हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% केंद्र सरकार के पास हो, चाहे वे बाजार मूल्य के प्रीमियम पर किसी एक या अधिक ट्रेड, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (“एनआरआई”), कंपनियों- निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) जैसे विदेशी संविभाग निवेशकों (“एफपीआई”), बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों या जो वर्तमान विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की इक्विटी शेयरों / प्रतिभूति में निवेश करने के लिए अधिकृत हों या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी संमिश्र के रूप में हों।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार का प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन या तो सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), अधिमानी इश्यू या तत्संबंधी संमिश्र अनुसार या अधि-आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018 (“आईसीडीआर विनियम”) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) व किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे समय, उतनी बार में, ऐसी पद्धति से और ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो निदेशक मंडल को उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उचित लगता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/ या हामीदारों (अंडरराईटर) और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित ऐसी शर्तों और दिशानिर्देशों, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के उपबंधों के अनुसार बैंक के निवेशकों(को), चाहें वे बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या न हों, हेतु ऐसी कीमत या ऐसी रीति से शेयर की कीमतें तय करने का अधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत से कम नहीं होंगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संबंधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों (एलओडीआर विनियमों),

अधिनियम, विनियमों के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के निवासी द्वारा जारी या हस्तांतरित निर्गम) विनियम 2017 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और यथावश्यक अन्य सभी प्राधिकारियों (इसके बाद जिसे “समुचित प्राधिकारी” कहा जाएगा) से अपेक्षित स्वीकृति, सहमति, अनुमति और/या ऐसा अनुमोदन (इसके बाद जिसे “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक मंडल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, एक या अधिक ट्रेच में, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में उल्लिखित है, के तहत प्लेसमेंट दस्तावेज/ लेखन / परिपत्र / जापन और ऐसी पद्धति से और ऐसी कीमत पर, और ऐसी शर्तों पर, जो आईसीडीआर विनियम या यथासमय विद्यमान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई हो, योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में परिभाषित किए अनुसार) के लिए वारंट को छोड़कर, इक्विटी शेयर या किसी प्रतिभूति का इस रूप से सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सकता है, जो एक बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में इस प्रकार परिवर्तनीय हों या उनकी अदला-बदली की जा सकती हो, कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% से कम हिस्सा न हो।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में -

- क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार केवल योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन को इस प्रस्ताव की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।
- ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक, विनियमों के अनुसार अधिकृत आधार मूल्य में अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर खरीदने की पेशकश कर सकता है।
- ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक दिनांक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार/ भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते / देते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/ अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन, यदि कोई हो, यथालागु विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन लेकिन उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त जारी होने वाले नए इक्विटी शेयर, यथा संशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बट्टे) विनियम, 2004 के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि किसी निर्गम या इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना हो, ऐसे निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम के मूल्य, निदेशक मंडल को अपने पूर्ण अधिकार से जो उचित लगे, निर्गम की प्रीमियम राशि तय करने, ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने या सार्वजनिक निर्गम जारी होने, आबंटन और निर्गम आय के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित अनुदेश जारी करने, निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के सर्वोत्तम हित में जैसा उचित समझे, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए और ऐसे संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, सुधार, विलोपन, अतिरिक्त नियम और शर्तें जोड़ने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना इनको प्रभाव देने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक व निदेशक मंडल को प्रदत्त कोई या सभी शक्तियों का निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को इसके द्वारा किसी भी बुक-रनर (रनर्स)/ अग्रणी प्रबंधकों (कों)/ हामीदार (रों)/ निक्षेपक (कों)/ रजिस्ट्रार (रों), लेखापरीक्षक (कों) और इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध और शामिल ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और ऐसी सभी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए और ऐसी सभी एजेंसियों व संस्थानों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने और इसमें प्रवेश भी करने और ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाओं, समझौतों, जापन, दस्तावेजों, आदि को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों (अंडरराइटर्स), अन्य सलाहकारों और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से एतद्वारा निर्गम (निर्गमों) के स्वरूप और शर्तों, निवेशकों के वर्ग सहित जिन्हें शेयर/ प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित होने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के उन्मोचन/ वारंट/ प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन की प्रीमियम राशि, ब्याज की दर, शोधन अवधि, परिवर्तित, उन्मोचित या निरस्तकरण के आधार पर अन्य प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन का प्रीमियम, ब्याज की दर, अभिलेख दिनांक या लेखा बंदी दिनांक और उससे संबंधित आकस्मिक मामले, भारत और/ अथवा विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के बारे में निदेशक मंडल को संपूर्ण विवेकाधिकार में, जैसा उचित समझे, निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि अनभिदत्त इक्विटी शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में, जिस रूप में वह उचित समझे, और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत्य हो, इन शेयरों की बिक्री के बारे में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने/ प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा उसे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक का ऐसा कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे इस उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेतु उचित समझे, यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

मद क्र. 3

शेयरधारक निदेशक का चुनाव

केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन करना जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) (इसके पश्चात “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके पश्चात “विनियमन अधिनियम” के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसके पश्चात “योजना” के रूप में संदर्भित) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम 2004 (इसके पश्चात “विनियम” के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और अधिसूचनाएं क्र. दिनांक 02 अगस्त, 2019 की अधिसूचना क्र.डीबीआर. एपीपीटी. बीसी.क्र.9/29.67.001/2019-20 और दिनांक 24.11.2016 की अधिसूचना क्र.डीबीआर. एपीपीटी. बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 (इसके पश्चात “भारिबैं अधिसूचनाएं” के रूप में संदर्भित) और उसमें संशोधन, भारत सरकार के दिनांक 03 सितंबर 2013 के कार्यालय ज्ञापन क्र.एफ.क्र.16/83/2013-बीओ.आई तथा दिनांक 28.04.2015 के एफ क्र.16/51/2012-बीओ.आई (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश) और 08.07.2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में मीमांसा के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंडों (इसके पश्चात “भारत सरकार दिशानिर्देश” के रूप में संदर्भित) और उसमें आगे किए गए संशोधन, यदि कोई हों, के साथ पठित और निर्वाचन के पश्चात निम्नलिखित को सामान्य संकल्प के रूप में निर्धारित करना और पारित करना :

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) और इसके अंतर्गत बनाई गई संगत योजना, विनियमावली के साथ पठित तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से निर्वाचित _____ को एतद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि वह दिनांक 30 जून 2021 से कार्यभार ग्रहण करे और 29 जून 2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्य संभालें।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 21 मई, 2021

स्थान: पुणे

(ए. एस. राजीव)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणियां :

1. बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां मद क्र. 2 और 3 में संलग्न हैं।
2. जारी कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (“एमसीए”) ने अपने 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पढ़े गए 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 के अपने परिपत्रों (समग्र रूप से “एमसीए परिपत्र” के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों द्वारा एक आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम (“एजीएम”) का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है। कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (“सेबी लिस्टिंग विनियम”) और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक का 18वां एजीएम वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। अतः केवल वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से सदस्य आगामी एजीएम में सहभाग ले सकते हैं। बैंक के प्रधान कार्यालय को एजीएम का स्थान माना जाएगा।
3. **प्रॉक्सी की नियुक्ति :**
एमसीए परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स व बैठकें) विनियम 2004 के विनियम 70 (vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए अनुपलब्ध रहेगी। अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति और उपस्थिति पर्ची को यहां संलग्न नहीं किया जा रहा है।
4. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :**
किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत

प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए जिसमें वह पारित किया गया हो तथा वह ई-मेल investor_services@mahabank.co.in पर वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से न्यूनतम चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार 19 जून, 2021 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए।

5. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स व बैंक) विनियम, 2004 के अंतर्गत कोरम की जांच हेतु सम्मिलित किया जाएगा।
6. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर भी उपलब्ध होगी।
7. चूँकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा, अतः इस नोटिस में रूट मैप को संलग्न नहीं किया गया है।
8. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दूरस्थ ई-मतदान, वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम पर मतदान से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश एतद्वारा अलग से दिए गए हैं।
9. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व और उसके पश्चात् वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने की सुविधा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें उन बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयर धारित करने वाले सदस्य), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
10. बैंक के जिन शेयरधारकों ने बैंक/ डिपॉजिटरी/ आरटीए के साथ अपने ई-मेल को पंजीकृत नहीं कराया है, वे investor_services@mahabank.co.in / helpdesk@mcsregistrars.com पर ई-मेल भेजकर एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 प्राप्त कर सकते हैं।

11. बहियों का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही **शुक्रवार 18 जून, 21 से गुरुवार 24 जून, 21** (दोनों दिनों को मिलाकर) तक 18वीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए बंद रहेंगे।

12. संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रदर्शित होता है, एजीएम में वोट देने का हकदार होगा।
13. खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के बारे में किसी भी जानकारी की मांग करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे investor_services@mahabank.co.in पर ई-मेल के माध्यम से बुधवार, 16 जून, 2021 को या पहले बैंक को मेल भेजें। इसका उत्तर बैंक द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

14. पते / बैंक विवरणों / बैंक खाता अधिदेश / ईमेल आईडी के परिवर्तन का अद्यतन:

वे सदस्य जो डिमैट रूप में शेयर धारण कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपना ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य केवाईसी विवरणों को पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकरण करें, ताकि बैंक इसका उपयोग संपर्क और इसके बाद उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज प्रदान करने के लिए कर सके। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे आरटीए को अपना ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण और पैन सहित अन्य केवाईसी दस्तावेज, यदि पहले से उपलब्ध नहीं किए गए हैं, निम्न पते पर प्रदान करें:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,

(यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)

कार्यालय नंबर 201, डी विंग, दूसरी मंजिल, गोकुल इंडस्ट्रियल इस्टेट बिल्डिंग, सागाबाग

मरोल को-ऑप इंडस्ट्रियल एरिया, बी /एच टाइम्स स्ववायर, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400 059

दूरभाष: 022 - 28516020/ 21/ 22/ 23

ईमेल: helpdesk@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com

15. फोलियो का समेकन :

एक से अधिक फोलियो/ खाते के अंतर्गत नामों के समरूप क्रम में भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाणपत्र सहित ऐसे खातों के लेजर फोलियो सूचित करें ताकि वो सभी धारिताओं को एक खाते में समेकित कर सके।

आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात शेयरधारकों को शेयर प्रमाणपत्र यथासमय वापस कर दिए जाएंगे।

16. भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बदलना :

सेबी ने हाल ही में सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोध को 01 अप्रैल, 2019 से स्वीकार करने से रोक दिया गया है। इस तिथि के बाद भी जो शेयरधारक भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, वे आगे हस्तांतरण के लिए बैंक / इसके आरटीए के साथ शेयरों को दर्ज करने में सक्षम नहीं होंगे। शेयरधारक यदि किसी हस्तांतरण को प्रभावी करना चाहते हैं तो उन्हें इनको अनिवार्य रूप से डीमैट फॉर्म में परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी। केवल भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के प्रसारण और हस्तांतरण के अनुरोध, आरटीए द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपना पैन जमा करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खातों का रखरखाव कर रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना पैन और अन्य विवरण बैंक के आरएडटी एजेंटों को दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के सेबी परिपत्र सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / डीओपीआई / सीआईआर / पी / 2018/73 के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

17. अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश, यदि कुछ हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/ अदावाकृत रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित “निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि” (आईईपीएफ), को अंतरित की जाएगी।

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है, उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से या पुणे में बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क करें।

18. मतदान अधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के **दस प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।**

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रजिस्ट्रार में पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्तधारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा और बैठक में केवल वही कार्यसूची मदों पर रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

19. ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित जानकारी व अन्य अनुदेश निम्नानुसार हैं :

(i) कार्यसूची मदों 1 और 2 के लिए नियत दिनांक:

यथासंशोधित कंपनियां (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में कार्यसूची मद क्र.1 और 2 के संबंध में शेयरधारकों का मतदान अधिकार गुरुवार **17 जून, 2021** को माना जाएगा।

(ii) शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन हेतु निर्दिष्ट दिनांक (कार्यसूची मद क्र.3)

केंद्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले एक निदेशक के निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने अर्थात् **नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने** हेतु नोटिस में उल्लेख किए अनुसार निर्दिष्ट **सोमवार, 24 मई 2021** निर्धारित की गई है। अतः निर्वाचन के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों की गणना **सोमवार, 24 मई 2021** से की जाएगी।

(iii) रिमोट ई-वोटिंग:

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।** निर्दिष्ट दिनांक और / या नियत दिनांक को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमटेरियलाइज्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। **सोमवार**

दिनांक 21 जून, 2021 को सुबह 9.00 बजे से बुधवार, दिनांक 23 जून 2021 को शाम 5.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी और इसके बाद ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा।

- (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अंतर्गत सेबी परिपत्र दिनांक 09.12.2020 क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसरण में सूचीबद्ध ईकाईयों द्वारा शेयरधारकों के समस्त संकल्पों के संबंध में अपने सभी शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यकता है। तथापि, यह पाया गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ रिटेल शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) उपलब्ध हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-वोटिंग हेतु सक्षम बनाया जाए। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ पुनः पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

- (v) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वरचुअल मीटिंग में शामिल होने हेतु लॉगिन का तरीका निम्नानुसार है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग इन पद्धति
सीडीएसएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉग इन करने के लिए यूआरएल हैं https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग इन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम मायईजीकाचयन करें। सफल लॉग-इन के बाद ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वरचुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात सीडीएसएल/ एनएसडीएल/ कार्वी/ लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डी-मैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डी-मैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देखने में सक्षम होगा जहां वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा।
एनएसडीएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://eservices.nsdl.com। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, लॉग-इन के अंतर्गत “बेनिफिशियल ओनर” आइकन पर क्लिक करें, जो “आइडीएस” सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत ‘एक्सेस टू ई-वोटिंग’ पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वरचुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपके ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग इन पद्धति
	<p>2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें” विकल्प चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, ‘लॉग-इन’ आइकन पर क्लिक करें, जो ‘शेयरधारक/सदस्य’ अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डी-मैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।</p>
व्यक्तिगत शेयरधारक (डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग-इन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डी-मैट खाते के लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉग-इन कर सकते हैं। सफल लॉग-इन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगॉट यूजर आईडी और फॉरगॉट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉग-इन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डी-मैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क ब्यौरे
सीडीएसएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

(vi) ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन विधि और डी-मैट फॉर्म में व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना।

क. ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें -

(i) निम्नलिखित यूआरएल टाइप कर इंटरनेट ब्राउज़र लांच करें

<https://www.evotingindia.com/>

(ii) शेयरहोल्डर लॉग-इन पर क्लिक करें

(iii) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।

क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें

(iv) अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।

- (v) यदि आपने अपने शेयर डीमैट रूप में धारित किए हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाना है।
- (vi) यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन (PAN)	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन * प्रविष्ट करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ ही भौतिक शेयरधारकों दोनों पर लागू)</p> <ul style="list-style-type: none"> जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले 2 अक्षरों का तथा अनुक्रम क्रमांक (sequence number) के 8 अंकों का उपयोग करें। यदि अनुक्रम क्रमांक 8 अंकों से कम है तो बड़े अक्षरों में नाम के पहले 2 अक्षरों के पश्चात क्रमांक से पूर्व लागू संख्या में शून्य प्रविष्ट करें। उदाहरण यदि आपका नाम रमेश कुमार है और आपका अनुक्रम क्रमांक 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (डीओबी)	<p>लॉग-इन करने के लिए बैंक/आरटीए के अभिलेख में या आपके डीमैट खाते में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (dd/mm/yy) प्रारूप में) प्रविष्ट करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया अनुदेश (v) में उल्लेख किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।

- vii) ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात “सबमिट” टैब पर क्लिक करें।
- viii) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अब “पासवर्ड क्रिएशन” मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।
- ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।
- x) आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है उस संबंधित <BANK OF MAHARASHTRA> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको “रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन” दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए “हां/नहीं” विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सहमति देते हैं और विकल्प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो “रिजॉल्यूशन फाइल लिंक” पर क्लिक करें।

कार्यसूची मद क्र. 1 और 2 के लिए

- xiii) मतदान पृष्ठ पर नियत दिनांक (17 जून 2021) को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी।
- xiv) कार्यसूची मद क्र.1 और 2 के संबंध में, आप मामले के अनुसार एसेंट या डिसेंट पर क्लिक कर सकते हैं। उचित विकल्प का चयन करके अपना मत दें और “सबमिट” पर क्लिक करें और प्रदर्शित होने पर “कनफर्म” पर क्लिक करें।

कार्यसूची मद क्र. 3 के लिए

- xv) कार्यसूची क्र.3 के संबंध में, निर्दिष्ट दिनांक अर्थात 24 मई 2021 को शेयर धारण करने वाले व्यक्ति स्क्रीन पर आनेवाले प्रत्याशी उम्मीदवारों के नामों में से केवल किसी एक व्यक्ति के पक्ष में अपना मत डाल सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति को मत देने से आपका मत अवैध हो जाएगा। उचित विकल्प का चयन करके अपना मत डालें और सबमिट पर क्लिक करें तथा प्रदर्शित होने पर “कनफर्म” पर क्लिक करें।

- xvi) एक पुष्टि (कन्फर्मेशन) बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओके” पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट में परिवर्तन करने के लिए “कैन्सल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।
- xvii) एक बार संकल्प पर अपना वोट “कन्फर्म” करनेके पश्चात आपको अपने वोट में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- xviii) आप वोटिंग पृष्ठ पर “क्लिक हियर टू प्रिंट” विकल्प पर क्लिक कर किए गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xix) यदि कोई डीमैट खाताधारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल जाता है तो अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें, छवि सत्यापन (इमेज वेरिफिकेशन) कूट प्रविष्ट करें और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा प्रदर्शित किए अनुसार ब्यौरे प्रविष्ट करें।
- xx) शेयरधारक एनड्रॉयड आधारित मोबाइल के लिए उपलब्ध सीडीएसएल के मोबाइल ऐप एम-वोटिंग के माध्यम से भी वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप्पल और विंडोज फोन का इस्तेमाल करनेवाले लोग क्रमशः ऐप स्टोर और विंडोज फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल से वोट करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए दिशानिर्देशों का पालन करें।
- xxi) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट
- क) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि को छोड़कर) और अभिरक्षकों से अनुरोध है कि www.evotingindia.com पर लॉग-इन करें और स्वयं को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत करें।
- ख) इकाई के हस्ताक्षर और मुहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर तथा सीसी स्क्रुतिनिसर@snaco.net पर ई-मेल की जाए।
- ग) लॉग-इन ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कम्प्लायन्स यूजर निर्मित किया जाए। कम्प्लायन्स यूजर उस खाते (खातों) को लिंक करने में समर्थ होगा जिनके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं।
- घ) लॉग-इन में लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट डालने में समर्थ होंगे।
- ङ) बोर्ड रिजोल्यूशन और मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति संवीक्षक के सत्यापन हेतु प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।
- ख) यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका है या मुद्दा है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या आप श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल, ‘एट विंग, 25वां तल, मैराथॉन फ्यूच्यूरेक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुंबई - 400013 या टोल फ्री क्र. 1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं या आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं।
- ग. शेयरधारक अद्यतित ई-वोटिंग अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in के मुख-पृष्ठ पर निवेशक सेवाएं लिंक को भेट दे सकते हैं।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेने वाले और बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने वाले सदस्यों के लिए निर्देश:

1. एजीएम के दिन बैठक में सहभाग एवं ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर उल्लेख किए गए निर्देशों के ही समान है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ ओएवीएम के लिए लिंक वहां उपलब्ध होगी जहां रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार सफल लॉग-इन के पश्चात बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
3. सदस्यों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपीडैड के माध्यम से एजीएम में शामिल हों।
4. बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को कैमरा एक्सेस की अनुमति देने और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
5. प्रतिभागी मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या लैपटॉप से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने पर अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/ वीडियो की क्षति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपर्युक्त किसी भी प्रकार की खामियों/ कठिनाईयों को कम करने के लिए उचित वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

6. वे सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 15 जून, 2021 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से 18 जून, 2021 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) तक की अवधि के दौरान ई-मेल के माध्यम से अग्रिम रूप से अपना अनुरोध investor_services@mahabank.co.in पर भेजकर खुद को एक वक्ता (speaker) के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। इस अनुरोध में अपना नाम, डी-मैट खाता क्रमांक / फोलियो क्रमांक, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करें।
7. वे सदस्य जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ शंकाएं हैं तो वे अपनी शंकाएं 16 जून, 2021 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) तक investor_services@mahabank.co.in पर अग्रिम रूप से भेज सकते हैं, इस में अपना नाम, डी-मैट खाता क्रमांक / फोलियो क्रमांक, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करें। इन शंकाओं का उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल के माध्यम से उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
8. वे सदस्य जिन्होंने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है।
9. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग लेनेवाले शेयरधारकों की गणना बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2004 के विनियमन 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

20. **वार्षिक साधारण बैठक में संवीक्षक :**

18वीं वार्षिक साधारण बैठक में आयोजित की जानेवाली रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे संवीक्षक का कार्य करेंगे।

21. **ई-वोटिंग का परिणाम:**

वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण कथन :

मद क्र. 2 :

एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानि इश्यू इत्यादि के माध्यम से पूंजी की उगाही

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक को 31.03.2021 को बेसल-III के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का न्यूनतम 10.875% सीआरएआर बनाए रखना है, जिसमें 5.50% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टीयर1 पूंजी (सीईटी1) की एक शर्त शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैंकों को मार्च 2016 से मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) प्रदान करना चाहिए और यह सीसीबी सीईटी1 के रूप में होना चाहिए। यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31.03.2019 से 01.10.2021 तक 0.625% की अंतिम किरत के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया। बेसलIII ढांचे के अनुसार 31.03.2021 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.49% था जिसमें टीयर-1 पूंजी (सीसीबी सहित) 10.975% थी। सीसीबी के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और वार्षिक व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक ने ₹ 5000/- करोड़ की पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है।
- (ii) उपर्युक्तानुसार आवश्यक पूंजी को केंद्र सरकार से पूंजी सहयोग, यदि कोई हो, सहित एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानि आबंटन इत्यादि के माध्यम से बाजार से उगाहा जाना प्रस्तावित है। इन विकल्पों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और विद्यमान बाजार स्थितियों के अनुसार किया जाएगा।
- (iii) भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य ऐसे प्राधिकारियों के अनुमोदन से और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुमोदन एवं सेबी तथा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संगत दिशानिर्देशों/ विनियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित इक्विटी पूंजी उगाही जाएगी।
- (iv) निदेशक मंडल ने 29 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से ₹ 5000/- करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की इक्विटी पूंजी की उगाही करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया तथा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की।
- (v) एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानि इश्यू इत्यादि के माध्यम से ₹ 2000/- करोड़ तक पूंजी उगाहने के लिए 11 अगस्त, 2020 को आयोजित 17वीं वार्षिक साधारण बैठक में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। सेबी विनियमों के अनुसार संकल्प की वैधता ऐसे क्यूआईपी के लिए बारह माह हेतु प्रतिबंधित है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शेयरधारकों का अनुमोदन एतद्वारा एक बार पुनः मांगा जाता है।
- (vi) जारी इक्विटी शेयरों को लाभांश सहित बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ हर प्रकार से समरूप रैंक किया जाएगा।
निदेशक मंडल ने नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की।
बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक/ मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति की कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है।

मद क्र. 3 :

एक शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति

- (i) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार जहां धारा 3 की उप धारा 2(बी) के खंड (सी) के अधीन निर्गम पूंजी, कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक है तो निदेशक मंडल में शेयरधारकों द्वारा उनके बीच से चयनित एक निदेशक होना चाहिए जोकि केन्द्र सरकार के निदेशक के अतिरिक्त रहेंगे।
- (ii) उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक शेयरधारकों के बीच से निर्वाचित एक निदेशक को रखने का हकदार है जोकि केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के अतिरिक्त रहेंगे। वर्तमान में, बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों के एक निदेशक उपलब्ध हैं। बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री आर. तामोधरन का कार्यकाल दिनांक 29 जून, 2021 को समाप्त हो रहा है।
- (iii) निदेशक मंडल ने 29 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों के एक निदेशक की एक रिक्ति को भरने हेतु चुनाव के आयोजन को अपना अनुमोदन प्रदान किया है जो 30 जून 2021 को उत्पन्न होगी।
- (iv) अतः केंद्र सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न व संगत अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना/ निर्देशों के अंतर्गत उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार, शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) अपने नामांकन भेज सकते हैं। उम्मीदवारी हेतु सभी प्रकार से पूर्णतः भरे हुए नामांकन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति / बैंक का बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की पहचान की जाएगी।

विधिक प्रावधान :

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/ विनियमन/ योजना/ अधिसूचनाओं में शामिल प्रावधान प्रदर्शित किए गए हैं :

अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20 धारा 51	<ul style="list-style-type: none"> पर्याप्त ब्याज सामान्य निदेशकों का निषेध इसके किसी भी निदेशक को या उनकी ओर से किसी को ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध समनुरूपी नए बैंक के अधिनियमों की कतिपय धाराओं की प्रयोज्यता।
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए)(ए) से (सी) धारा 9(3एए) और धारा 9(3 एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> मतदान करने के अधिकार पर प्रतिबंध शेयरधारकों द्वारा चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या कतिपय क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि पूर्व अभिलेख, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडों के अधीन, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करे, उसे उपयुक्त तथा उचित स्थिति का व्यक्ति न माना जाए। चयनित निदेशक, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3 एए) की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, उसे हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार। निष्ठा और गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> चयनित निदेशकों की कार्यालय अवधि बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की अयोग्यता निदेशक के कार्यालय की रिक्ति चयनित निदेशक के कार्यालय से हटाया जाना चयनित निदेशक के कार्यालय की रिक्तियों को भरना कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा, जिनके लिए वे इच्छुक हैं, हितों का विगोपन
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2004	विनियम 10 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन निदेशक आम बैठकों में चुने जाएंगे शेयरधारकों की सूची निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन नामांकनों की संवीक्षा निर्वाचन से संबंधित विवाद मतदान अधिकारों का निर्धारण विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एपीपीटी क्र.:9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 बैंकिंग की धारा 9(3एए) व धारा 9(3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयनित निदेशकों हेतु उपयुक्त तथा उचित मानदंड

अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सं.क्र.16/83/2013-बीओ.आई द्वारा जारी 3 सितंबर 2013 के पत्र और भारत सरकार के 28 अप्रैल 2015 तथा 20 जुलाई 2016 के पत्र एफ.क्र.16/51/2012-बीओ.आई के साथ पढ़े जाने वाले 25 मार्च 2015 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंड और इसके अतिरिक्त अनुवर्ती संशोधन, अगर कोई हो।		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंड
भा.रि.बैं. का मास्टर परिपत्र क्र. डीबीआर क्र. डीआईआर.बीसी.10/13.03.00/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण व अग्रिम प्रदान करना
सेबी (कर्तव्यों की सूची तथा आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियमन, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/ विनियमन और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एपीपीटी. क्र.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019, आरबीआई अधिसूचना क्र. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध होंगे जिसे उपयोगकर्ता द्वारा अवलोकन/ डाउनलोड किया जा सकता है। इसके सारांश को इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल किया जाएगा जब नामांकन फॉर्मों के प्रस्तुतिकरण के लिए निर्धारित दिनांक अर्थात् बुधवार, 09 जून, 2021 को या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ई-मेल पते investor_services@mahabank.co.in पर अनुरोध प्राप्त हो।

क. निर्वाचन में सहभाग :

विनिर्दिष्ट दिनांक अर्थात् **सोमवार, 24 मई, 2021** को एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त किए अनुसार लाभार्थी स्वामियों/ शेयरधारकों के रजिस्टर में प्रदर्शित नामवाले शेयरधारकों को केंद्र सरकार के शेयरधारकों को छोड़कर शेयरधारकों के बीच से निदेशकों के निर्वाचन में **नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान** करने का अधिकार होगा।

इसे नोट किया जा सकता है कि, निदेशक के चुनाव में केन्द्र सरकार भाग लेने हेतु पात्र नहीं है, लेकिन दृष्टा के रूप में एजीएम में भाग ले सकती है।

ख. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु अपेक्षित अर्हता :

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार तथा जो अधिनियम की धारा 9(3)(आई) के अंतर्गत निदेशक बनने का इच्छुक है, उससे निम्नलिखित अपेक्षित है -

क. उसे निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :-

- कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- अन्य किसी भी विषय के संबंध में विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार बैंक के लिए उपयोगी होगा

ख. जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो; या

ग. किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो

आरबीआई ने अपनी अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर, 2016 डीबीआर क्र. एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 द्वारा विशेषज्ञता के क्षेत्र का विस्तार कर निम्नलिखित को सम्मिलित किया है :

- (i) सूचना प्रौद्योगिकी
- (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली
- (iii) मानव संसाधन
- (iv) जोखिम प्रबंधन तथा
- (v) व्यवसाय प्रबंधन

अनुच्छेद की धारा 9(3एए) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो कि बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो उसे 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति में होना चाहिए।

अनुच्छेद की धारा 9(3एबी) के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उप-अनुच्छेद 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना का उल्लेख भी किया जा सकता है, "उपयुक्त और उचित" स्थिति के निर्णय प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तरीके, ऐसे निर्धारण हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया तथा इसके अतिरिक्त इसी प्रकार के आवश्यक या आकस्मिक अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

साथ ही, चुने गए निदेशक द्वारा प्रसंविदा का विलेख निष्पादित करना चाहिए और उनसे यह अपेक्षित है कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करें।

ग. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा :

क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या इससे संबद्ध हो, या

ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो, या

ग) यदि किसी नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या

घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किंतु वह बैंक के कर्मचारियों के बीच से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ड) व (च) के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर पद धारित करता है।

ड) यदि उसे बैंक के निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति / बैंक का बोर्ड द्वारा दिनांक 03 सितंबर, 2013 के ओएम के साथ पढ़े जाने वाले भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और 26 जुलाई, 2016 क्र. एफ.क्र.16/51/2012-बीओ.1 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 2 अगस्त 2019 के मास्टर परिपत्र क्र. डीबीआर. एपीपीटी. क्र. 9/ 29.67.001/ 2019-20 तथा आरबीआई की अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2016 क्र. डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. क्र. 39/ 29.39.001/ 2016-17 द्वारा 'उचित और उपयुक्त' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

घ. शेयरधारकों की सूची :

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर एवं बँडके) विनियम 2004 के विनियम 64 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 27 मई, 2021 से शेयरधारकों की सूची (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप यथा सीडी अथवा अन्य कोई माध्यम से) निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में शेयरधारकों द्वारा ₹ 10,000/- (रुपए दस हजार केवल) के पूर्व भुगतान पर सीडी पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में तथा इसकी मुद्रित प्रति 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र' के पक्ष में पुणे में देय अनुसूचित बैंक के ₹ 50,000 (रुपए पचास हजार केवल) के मांग ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के द्वारा उपलब्ध की जाएगी।

उक्त सूची को खरीदने वाले इच्छुक उम्मीदवार सीएफओ व महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को संबोधित पत्र या investor_services@mahabank.co.in पर ई-मेल द्वारा अनुरोध करेंगे तथा यह वचन भी देंगे कि इस

सूची का उपयोग चुनाव के प्रचार हेतु किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

इ. शेयरधारकों की पंजी का निरीक्षण :

शेयरधारकों की पंजी का शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण करने हेतु यह पंजी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में सभी कार्य दिवसों (दूसरा और तीसरा शनिवार तथा रविवार एवं बैंक अवकाश को छोड़कर) को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी ताकि प्रत्याशी शेयरधारकों की पंजी के किसी भी भाग का उद्धरण प्राप्त कर सकें। कोविड-19 महामारी की स्थिति की कारण, जो शेयरधारक शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण करने के इच्छुक हैं, उन्हें निरीक्षण के न्यूनतम एक कार्य-दिवस पहले बैंक के कंपनी सचिव को ई-मेल investor_services@mahabank.co.in या दूरभाष 020-25511360 पर इसकी सूचना देना आवश्यक है। बैंक प्रबंधन द्वारा बैंक को भेंट देने वाले व्यक्तियों की चिकित्सा जांच, यदि कोई हो, कराई जा सकती है।

यदि कोई शेयरधारक प्रतिलिपि अथवा चुने हुए भाग/ अंश के कम्प्यूटर प्रिंट की मांग करता है तो वह उसे ₹ 5/- प्रति 1,000 शब्द अथवा उसके अनुपात में भुगतान करने पर उपलब्ध की जाएगी।

च. चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

नियमावली के विनियम 65, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02 अगस्त, 2019 के मास्टर परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी. क्र. 9/29.67.001/2019-20, आरबीआई अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2016 क्र. डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. क्र. 39/ 29.39.001/ 2016-17 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी 03 सितंबर, 2013 के पत्र संदर्भ फा.सं. 16/ 83/ 2013-बीओ.1 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक पर विचार करने संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा गठित मानदंडों संबंधी दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा 26 जुलाई, 2016 (भारत सरकार के दिशानिर्देश) के पत्र एवं विभिन्न अधिनियमों, दिशानिर्देशों, निर्देशों के लागू प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक के रूप में चयन हेतु उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि :

- क) वह शेयरधारक है तथा **सोमवार, दिनांक 24 मई, 2021** जोकि चुनाव में सहभागिता की **विशिष्ट तारीख** निश्चित की गई है, को उसके पास बैंक के 100 (एक सौ) से अधिक शेयर हैं तथा बैठक की तारीख तक, तत्पश्चात् यदि वह चुना जाता/ जाती है तो उसका कार्यकाल समाप्त होने तक वह न्यूनतम 100 शेयर धारित करता/ करती है।
- ख) **बुधवार, दिनांक 09 जून, 2021** जो कि नामांकन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख है को वह अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाओं/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के रूप में अयोग्य नहीं माना जाता है।
- ग) अधिनियम के अंतर्गत निदेशक का चयन करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत गठित अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नामांकन, बशर्ते कि शेयरधारक, जो कि एक कंपनी है, द्वारा एक नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो और जब यह बनाया जाए तो जिस बैठक में यह पारित हुआ हो उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रति सीएफओ व महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन पत्रों के साथ उम्मीदवार का घोषणापत्र जिसका नमूना उपलब्ध किया गया है जो कि उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, दंडाधिकारी, एश्योरेन्स के रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसमें वह घोषणा करेगा/ करेंगी कि उसने नामांकन स्वीकार किया है तथा चुनाव हेतु खड़ा होने के लिए इच्छुक है तथा उसे अधिनियम अथवा विनियामक अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियमों अथवा भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के अधीन निदेशक के रूप में अयोग्य करार नहीं दिया गया है। साथ ही, उसे अपने वैयक्तिक ब्यौरे (बायो डाटा) हस्ताक्षर करके यह पुष्टि करनी होगी कि उसकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार यह ब्यौरे यथार्थपूर्ण हैं तथा वह यह वचन भी देगा/ देगी कि यदि घोषणा करने के उपरांत इनमें कुछ परिवर्तन होता है तो वह संगत जानकारी यथाशीघ्र बैंक को सूचित करेगा/ करेगी।
- ङ) नामांकनपत्र एवं घोषणापत्र विनियम में निर्धारित किए गए प्रारूप के अनुसार हैं जो कि इस नोटिस के साथ संलग्न किए गए हैं (यह प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध है।)

उसे बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 अथवा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2004 (जिसे अब से विनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश दिनांक 02 अगस्त, 2019 के मास्टर परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी. क्र. 9/29.67.001/2019-20 तथा आरबीआई अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2016 क्र. डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. क्र. 39/ 29.39.001/ 2016-17 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ('भारत सरकार के दिशानिर्देश') और इसके पश्चात् आगामी संशोधनों को संदर्भित, अगर कोई हो के गैर-आधिकारिक निदेशकों पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 20 जुलाई, 2016 के साथ पढ़े जाने वाले दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के पत्र क्र. एफ. क्र. 16/51/2012-बीओ-1 के दिशानिर्देश के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयन हेतु उसे अयोग्य करार नहीं दिया गया है।

छ. नामांकन फॉर्मों का प्रस्तुतीकरण :

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारक केन्द्र सरकार के अलावा तथा इसके अंतर्गत उल्लेख की गई शर्तों के अनुसार अर्हता प्राप्त शेयरधारक कृपया सूचना में संलग्न किए गए प्रपत्र में सीलबंद लिफाफे में जिस पर यह विशेष रूप से लिखा गया हो “**शेयरधारक निदेशक हेतु नामांकन - एजीएम 2021**” सीएफओ व महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 को हर तरह से पूर्ण संबंधित/ संगत प्रलेख सहित एजीएम हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम चौदह दिन पूर्व अर्थात् **बुधवार, दिनांक 09 जून 2021 को बैंक के कार्यसमय के समापन अर्थात् सायं 5.00 बजे से पूर्व** निम्नलिखित प्रस्तुत करें और ऐसा न करने पर नामांकनों को अस्वीकार किया जा सकता है।

क) विधिवत भरे हुए घोषणा फॉर्म ;

ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन ;

ग) वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) और इसके साथ संबंधित दस्तावेज, विवरण पत्र यथा क) बायोडेटा ख) शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाणपत्र ग) कार्य अनुभव आदि की स्व प्रमाणित प्रतियों के साथ नोटिस से संलग्न प्रारूपों में,

उक्त नामांकन फॉर्म और अन्य दस्तावेज हर तरह से पूर्ण हो जिसमें कोई भी चूक होने से इसे निरस्त किया जाएगा।

ज. नामांकनों की जांच और निदेशकों का निर्वाचन :

क) विनियमों में शामिल शर्तों के साथ नामांकन की पुष्टि हेतु गुरुवार, दिनांक 10 जून, 2021 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि नामांकन अवैध पाए जाते हैं तो उसके कारणों को दर्ज करते हुए उन्हें निरस्त किया जाएगा।

ख) वैध नामांकन भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मामला-दर-मामला अनुसार निदेशक मंडल/ निदेशक मंडल की नामांकन व पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा की गई संवीक्षा के अधीन होगी। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों/ अधिसूचनाओं और भारत सरकार के निर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एक ही प्रकृति के हैं इसलिए बैंक उम्मीदवारों की ‘उपयुक्त और उचित’ (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति की पहचान करने के लिए इन दोनों में से अधिक कठोर पर विचार कर सकता है।

ग) बैंक एनआरसी/ निदेशक मंडल द्वारा सलाह दिए अनुसार या नामांकनों की संवीक्षा करते समय उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में कुछ और जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।

घ) यदि एनआरसी/ निदेशक मंडल द्वारा केवल **एक ही उम्मीदवार** उपयुक्त व उचित पाया जाता है तो उस उम्मीदवार को चुना हुआ माना जाएगा और वह रिक्ति उत्पन्न होने के दिनांक को अर्थात् दिनांक 30 जून 2021 को कार्यालय में कार्यग्रहण कर सकता है। यदि एनआरसी/ निदेशक मंडल द्वारा किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त व उचित नहीं पाया जाता है, तो एजीएम का एजेंडा मद क्र. 3 का आयोजन नहीं किया जाएगा।

ङ) यदि एनआरसी/ निदेशक मंडल द्वारा एक से अधिक उम्मीदवार को उपयुक्त व उचित पाया जाता है तो उम्मीदवारों के नाम बैंक की वेबसाइट, सीडीएसएल ई-वोटिंग पोर्टल और समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा चुनाव कराए जाएंगे। अधिकतम मत पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम निर्वाचित घोषित किया जाएगा तथा समाचारपत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

झ. उम्मीदवारी को वापस लेना :

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह किसी भी समय किंतु **शुक्रवार 18 जून, 2021** को दोपहर 2.00 बजे से पूर्व सीएफओ व महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ‘लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को पत्र भेजकर अथवा हस्ताक्षरित स्कैन पत्र को boardsec@mahabank.co.in या investor_services@mahabank.co.in पर ई-मेल भेजकर द्वारा वापस ले सकता है।

ञ. विवाद :

यदि कोई विवाद है तो उसका निराकरण यथा संशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बेटके) विनियम, 2004 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

ट. निष्कर्ष :

शेयरधारकों के लाभार्थ लागू अधिनियम/ योजना/ विनियमन/ अधिसूचना/ दिशानिर्देशों के संबंधित भाग का निष्कर्ष बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक इसको डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के कंपनी सचिव को investor_services@mahabank.co.in पर लिखकर इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

बैंक के किसी भी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति/ निदेशक की शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने में कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है, जबतक कि वह चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं लेता।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 21 मई, 2021

स्थान: पुणे

(ए. एस. राजीव)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune – 411005

Notice

Notice is hereby given that the Eighteen Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Thursday, the 24th June, 2021 at 11.00 a.m. (IST) via Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following:

ORDINARY BUSINESS:

Item No.1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2021, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

Item no.2:

To raise Equity Capital through FPO/Rights issue/QIP/ Preferential issue etc.,

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations"), as amended up to date / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹10 each, aggregating to not more than ₹ 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore only), (including premium) being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the Shareholders, Employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies - private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Portfolio Investors ("**FPIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be either by way of Public issue, Rights issue, Qualified Institutional Placements (QIPs), Preferential issue or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("**ICDR Regulations**") and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations), the Act, the provisions of the Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign

Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize

and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorisation to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or to Executive Director/(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

Item No. 3

Election of Shareholder Director.

To elect **ONE** Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the “Regulation Act”), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and Bank of Maharashtra (Shares & Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as the “Regulations”) and RBI Master Direction DBR. APPT.No.:9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and Notification no. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as ‘RBI Notifications’) and further amendments thereto, Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated September 3, 2013 from Government of India (GOI) and F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 (the extant Govt. of India guidelines) read with Guidelines dated July 08, 2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to “GOI Guidelines”) and further amendments, if any, made thereto and to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT _____ elected as Director from amongst Shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, Reserve Bank of India Notification and Government of India Guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office with effect from 30th June, 2021 and shall hold the office for a term of three years till 29th June, 2024.

By order of Board of Directors

Date: 21st May, 2021

Place: Pune

(A.S. Rajeev)

Managing Director and CEO

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No. 2 and 3 at the meeting is annexed hereto.
2. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) has vide its circulars dated January 13, 2021 and May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as “MCA Circulars”) and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) permitted the holding of the Annual General Meeting (“AGM”) through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (“Act”), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”) and MCA Circulars, the 18th AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of Bank shall be deemed to be the venue of the AGM.
3. **APPOINTMENT OF PROXY:**
In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith.
4. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the investor_services@mahabank.co.in not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Saturday, 19th June, 2021.
5. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.
6. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021, Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are

registered with the Bank / Depositories. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2020-21 will also be available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL <https://www.evotingindia.com>

7. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map of venue of meeting is not annexed in this Notice.
8. The facility to attend the AGM through VC / OAVM will be provided through the Central Depository Services of India Limited (CDSL). The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.
9. The Members can join the AGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC / OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Members (Members holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
10. Shareholders of Bank, who have not registered their email addresses with Bank / Depositories / RTA can obtain the Notice of AGM and Annual Report 2020-21 by sending email to investor_services@mahabank.co.in / helpdesknum@mcsregistrars.com
11. **Book Closure:**
The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **the Friday, 18th June, 2021 to Thursday 24th June, 2021** (both days inclusive) for the purpose of 18th Annual General Meeting.
12. In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Bank will be entitled to vote at the AGM.
13. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Bank on or before Wednesday, 16th June, 2021 through email on investor_services@mahabank.co.in The same will be replied by the Bank suitably.
14. **Updation of Change of Address / Bank Particulars / Bank Account Mandate / Email id:**

The Members who are holding shares in demat form and have not yet registered their e-mail IDs, mobile numbers and other KYC Details are requested to register the same with their Depository Participant at the earliest, to enable the Bank to use the same for their contacts and serving documents to them electronically, hereinafter. Members holding shares in physical mode are requested to provide, if not provided earlier, their e-mail Ids, mobile numbers, Bank Details and other KYC Documents including PAN, to the RTA at following address:

MCS Share Transfer Agent Limited,

(Unit: Bank of Maharashtra)

Office no.201, D Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate Building, Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area, B/H Times Square, Andheri East, Mumbai – 400 059.

Tel: 022 28516020/ 21/ 22/ 23

Email: helpdesknum@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com

15. **Consolidation of Folios:**

The shareholders holding shares in physical form in identical order of names under more than one folio/account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

16. **Dematerialization of Physical Holdings:**

SEBI has amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 01st April, 2019. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect, any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted by the RTA.

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in securities market. Shareholders holding shares in electronic format, therefore, are requested to submit their PAN to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. Shareholders holding shares in physical form may submit their PAN and other details to the Bank's R&T Agents in accordance with SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20th April, 2018.

17. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013.

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the year 2014-15 are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Department at Pune.

18. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda item either through remote e-voting or voting at the meeting.

19. Information and other instructions relating to e-voting process are as under:

i) CUT-OFF DATE FOR AGENDA ITEM NO. 1 and 2:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders in respect of agenda items No.1 and 2 shall be reckoned as on **Thursday, 17th June, 2021.**

ii) SPECIFIED DATE FOR ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR (AGENDA ITEM NO. 3):

For the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e., to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director representing the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, **Monday, 24th May, 2021** is fixed as Specified Date, as mentioned in the Notice. Thus, Voting Rights of shareholders in respect of election of Shareholder Director shall be reckoned as on **Monday, 24th May, 2021.**

iii) REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. **Remote E-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date and / or on the Specified Date** may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders **from 09:00 a.m. on Monday, 21st June, 2021 till 05:00 p.m. on Wednesday, 23rd June, 2021 and the e-voting platform will be disabled thereafter.**

iv) Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants.** Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

v) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	<ol style="list-style-type: none"> 1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	<ol style="list-style-type: none"> 1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

vi) **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than individual shareholders holding in Demat form & physical shareholders.**

a) *Follow steps to cast E-vote:*

- (i) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evotingindia.com/>
- (ii) Click on Shareholder – **Login**
- (iii) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank/ RTA's records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the relevant EVSN for the relevant **<BANK OF MAHARASHTRA >** on which you choose to vote.
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- (xii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.

For Agenda Items No.1 and 2

- (xiii) On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder of the Bank as on the **Cut-off Date** (17th June, 2021) will appear.
- (xiv) In respect of Agenda items no.1 and 2, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on “**SUBMIT**” and also “**CONFIRM**” when prompted.

For Agenda Item No.3

- (xv) In respect of Agenda No. 3, those holding shares as on the Specified Date i.e. 24th May, 2021, can cast their vote in favour of only ONE candidate, out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. Casting vote exceeding ONE candidate shall render your vote as invalid. Cast your vote by selecting appropriate option and click on “**SUBMIT**” and also “**CONFIRM**” when prompted.
- (xvi) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xvii) Once you “CONFIRM” your vote on the agenda item, you will not be allowed to modify your vote.
- (xviii) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xix) If you are holding shares in electronic form and have forgotten the login password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xx) **Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.**

(xxi) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- a) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- b) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and cc to scrutiniser@snaco.net
- c) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- d) The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- e) A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- b) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or you may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, ‘A’ Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400 013 or contact at a toll free number 1800-22-5533 or you may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- c) Shareholders may visit Bank’s website i.e. www.bankofmaharashtra.in – Investor Services link on home page for updated e-voting instructions.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Members are requested to join the AGM through Laptops / IPads for better experience.
4. Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
5. Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. Members who would like to express their views / ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance through e-mail during the period from 15th June, 2021 (9.00 a.m. IST) to 18th June, 2021 (5.00 p.m. IST) mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in
7. The Members who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance till 16th June, 2021 (5.00 p.m. IST) mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor_services@mahabank.co.in These queries will be replied by the Bank suitably by email.
8. Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.
9. The shareholders attending the AGM through VC/OA/M will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Bank of Maharashtra (Shares & Meetings) Regulations, 2004.

20. SCRUTINIZERS AT E-VOTING AT AGM:

M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane shall act as Scrutinizer for both the remote e-voting and e-voting process to be conducted at the 18th AGM.

21. RESULTS OF E-VOTING:

The Results of the voting at the AGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT:

Agenda Item No.2:

TO RAISE CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS ISSUE/QIP/ PREFERENTIAL ISSUE ETC.,

- (i) As per RBI guidelines under Basel III the Bank should maintain a minimum CRAR of 10.875% of its Risk Weighted Assets (RWA) as of 31.03.2021, including stipulation of the minimum Common Equity Tier I Capital (CET 1) of 5.50%. As per the RBI prescribed transitional arrangements, the banks should provide every year Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% from March 2016 to March 2019 and the CCB should be in the form of CET 1. However, RBI has deferred implementation of the last tranche of 0.625% from 31.03.2019 to 01.10.2021. The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.03.2021 was at 14.49% as per Basel III, of which Tier I capital (including CCB) was 10.975%. To meet the additional requirement on account of CCB and to provide necessary capital for the annual business growth, Bank has assessed a Capital requirement of around ₹ 5,000/- crore for the financial year 2021-22.
- (ii) The required capital as above is proposed to be raised from market by way of FPO/Rights Issue/QIP/ Preferential issue etc., including Capital support from Central Government, if any. These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.
- (iii) The equity capital as above said will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (iv) The Board of Directors at its meeting held on 29th April, 2021 had given their approval to raise an equity capital upto ₹ 5000/- crore (including share premium) through the different available options and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- (v) The approval of the Shareholders of the Bank was obtained in the 17th Annual General Meeting held on 11th August, 2020 for raising of capital through FPO/Rights Issue/QIP/ Preferential issue etc., upto ₹ 2,000/- crore. As per the SEBI Regulations, the validity of the resolution is restricted to twelve months for such QIPs. Keeping in view the future requirements, the approval of the shareholders of the Bank is hereby sought once again.
- (vi) The equity shares issued shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.
The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.
None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No.3:

ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

- (i) As per Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, where the capital issued under clause (c) of sub section 2B of Section 3 is less than sixteen per cent of the total paid up capital of the Bank, the Board of Bank should have one Director duly elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.
- (ii) As per the above guidelines, the Bank is entitled to have one Director, elected from amongst shareholders, other than the Central Government. At present, Bank is having one Shareholder Director on the Board. The term of Shri R. Thamodharan, Shareholder Director of the Bank will end on 29th June, 2021.
- (iii) The Board at its meeting held on 29th April, 2021 has approved to conduct the election to fill in this vacancy of One Shareholder Director on the Board of the Bank that will arise on 30th June 2021.
- (iv) The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Acts / Scheme /Regulations / Notification /Directions from the Central Government/ RBI. Upon receipt of nomination of candidature duly filled in all respect, scrutiny of nomination will be completed by the Nomination & Remuneration Committee/Board of Bank.

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Regulations / Scheme / Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20 Section 51	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors ➤ Applicability of certain sections of Act to a corresponding new Bank.
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA)& Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004	Regulation 10 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative
RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR.APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019.	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected Directors on the Board of Nationalized Banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I.dated 28 th April 2015 and dated 20 th July 2016 and subsequent amendments thereto, if any.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular DBR. No. Dir. BC. 10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from The Acts, The Regulation Act, The Scheme / The Regulations as well as RBI Master Direction DBR.APPT.No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019, RBI Notification DBR.Appt.BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016, GOI Guidelines dated March 25, 2015 and July 20, 2016 will be hosted on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in which can be viewed / downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Maharashtra at its Head Office at investor_services@mahabank.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz., **Wednesday, 09th June, 2021**.

A. PARTICIPATION IN ELECTION:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date** i.e., on **Monday, 24th May, 2021** shall be entitled to participate i.e., **Nominate, Contest and Vote** in election of one Director from amongst Shareholders, other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the AGM as an Observer.

B. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -
- i. agriculture and rural economy
 - ii. banking
 - iii. co-operation
 - iv. economics
 - v. finance
 - vi. law
 - vii. small scale industry
 - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
- B. represents the interest of depositors; or
- C. represents the interest of farmers, workers and artisans

RBI vide its Notification DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include:

- (i) Information Technology
- (ii) Payment & Settlement Systems
- (iii) Human Resources
- (iv) Risk Management and
- (v) Business Management,

In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under subsection 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- (A) In terms of Clause 10 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a Competent Court; or
 - c) if he has been convicted by Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or

- d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and;
- e) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India RBI Master Direction DBR. APPT No.9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and RBI Notification No. DBR.Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and Government of India guidelines No.F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 26, 2016 read with OM dated September 03, 2013 by the Nomination & Remuneration Committee/Board of Bank.

D. LIST OF SHAREHOLDERS:

As provided in Regulation 64 of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., CD or such other media) will be available at Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 from 27th May, 2021 for purchase by Shareholders on a pre-payment of ₹10,000/- (Rupees Ten Thousand only) for soft copy on CD and ₹ 50,000 (₹ Fifty Thousand only) for hard copy, by way of demand draft /pay order on a Scheduled Bank in favor of '**Bank of Maharashtra**' payable at Pune.

The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to CFO & General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 or by mail on investor_services@mahabank.co.in with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

E. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 on all working days (other than Second and Fourth Saturday, Sundays and Bank Holidays) between 10.00 a.m. to 5.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders. Due to COVID - 19 Pandemic Situation, Shareholders who are desirous of inspecting the Register of Shareholders are required to intimate the Company Secretary of the Bank at investor_services@mahabank.co.in and on 020 - 25511360 atleast one working day before the day of inspection. The persons visiting the Bank may be subject to medical tests, if any, by the Bank's Management.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of ₹ 5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

F. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations, Reserve Bank of India Master Direction DBR.APPT. No.9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019, RBI Notification No. DBR.Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016- 17 dated November 24, 2016 and Letter dated September 03, 2013 vide Ref F. No.16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a NOD in Public Sector Banks issued on April 28, 2015 and July 26, 2016 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts/ Guidelines/ Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a) He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Monday, 24th May, 2021** being the **Specified Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) As on **Wednesday, 09th June, 2021** being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Acts / Scheme / Regulations / RBI Notifications /GOI Guidelines.
- c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the CFO & General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- d) The valid nominations by the shareholders (Minimum 100) are accompanied by declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulations and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in)

He / She is not disqualified under The Banking Regulation Act, 1949 or The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as "The Regulations") and RBI Master Direction DBR.APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and RBI Notification No. Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016- 17 dated November 24, 2016 and Letter F.No.16/51/2012-BO-I, dated April 28, 2015 read with Guidelines dated July 20, 2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines") and further amendments, if any, made thereto.

G. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope, marked "**Nomination for Shareholder Director - AGM 2021**" to the CFO & General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune - 411005, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM i.e., **on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m., on Wednesday, 09th June, 2021.**

- Duly filled in Declaration Form;
 - Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
 - Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU form) in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of a) Bio-data, b) Certificate of Educational Qualifications, c) Work Experience, etc.,
- The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

H. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTOR:

- Nominations shall be scrutinized on Thursday, 10th June, 2021 for conformity of the Nomination with the conditions as contained in the Regulations and in case any nomination is found not to be conforming, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors as the case may be in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As the restrictions imposed by RBI Direction/Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.
- The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the NRC / Board seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature.
- If there is only **One candidate** who is found to be Fit & Proper by the NRC / Board the said candidate shall be deemed to be elected and shall assume office from the day the vacancy arises i.e., 30th June 2021. In such an event or in case no Candidate is found to be Fit & Proper by the NRC / Board, the agenda item no.3 at the AGM will not be conducted.
- If there are more than one Candidate found to be Fit & Proper by the NRC / Board, the names of the candidates shall be published on the Bank's website, CDSL E-voting Portal, newspapers and Election will be held. Candidate polling the majority of the votes will be declared as elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

I. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time but not later than 2.00 p.m. on **Friday, 18th June, 2021** by sending a signed letter addressed to CFO & General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 or scanned signed letter over e-mail at boardsec@mahabank.co.in or investor_services@mahabank.co.in

J. DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, as amended.

K. EXTRACTS:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ Guidelines are available on Bank's website www.bankofmaharashtra.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting election may download the same or may write to the Company Secretary of the Bank at investor_services@mahabank.co.in to obtain copy thereof.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the Election of Shareholder Director unless he / she decides to contest the Elections.

By order of Board of Directors

Date: 21st May, 2021
Place: Pune

(A.S. Rajeev)
Managing Director and CEO



नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा)
(विनियमावली के विनियम 65 (आई) (घ) का संदर्भ लें)

अ. क्र.

प्रति,

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्रधान कार्यालय,
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर
पुणे - 411005

प्रिय महोदय,

निदेशक के निर्वाचन के लिए नामांकन

आपके दिनांक 21 मई, 2021 की सूचना के संदर्भ में, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयरधारक सोमवार, दिनांक 24 मई, 2021 (निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए मानी गई विनिर्दिष्ट तिथि) को रू.10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयरों (पूर्णतः भुगतान किए गए) का शेयरधारक हूँ। पुणे में गुरुवार, दिनांक 24 जून, 2021 को आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की 18वीं वार्षिक साधारण बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में निर्वाचन करने हेतु श्री/ श्रीमती सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी श्री/ श्रीमती को जो के निवासी हैं, उन्हें एतद्वारा नामित करता/ करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि बेकागजीकृत नहीं है तो)	
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र. (यदि बेकागजीकृत है तो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां :

- यदि नामांकन निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल की जिस बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
- उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
- यदि उपर्युक्त कोई कॉलम रिक्त छोड़ दिया जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो, नामांकन रद्द किया जा सकता है।



NOMINATION FORM

(By the Shareholder)
(Refer Regulation 65 (i) (d) of the Regulations)

Sl. No.

To,
Managing Director and CEO
Bank of Maharashtra
Head Office,
Lokmangal, 1501, Shivajinagar,
Pune – 411005

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 21st May, 2021, I _____ a shareholder of Bank of Maharashtra, holding _____ equity shares of ₹ 10/- each (fully paid up) as on Monday, 24th May, 2021 (being the Specified Date considered for participating in the election) do hereby nominate Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____ residing at _____ for being elected as a Director of Bank of Maharashtra representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the 18th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Thursday, 24th June, 2021 at Pune.

Name	
Signature	
No. of Shares held	
Regd. Folio No (If not Dematerialised)	
D.P.I.D. No. & Client I. D. No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

- In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
- If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

घोषणा

(उम्मीदवार के द्वारा)

(विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं, _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नीश्री/श्रीमती

निवासी _____

_____, एतद्वारा पुष्टि करता /करती हूँ कि:

- क. मैं **सोमवार, दिनांक 24 मई 2021** को अर्थात निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए मानी गई **विनिर्दिष्ट तिथि** को बैंक के ₹ 10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ तथा यदि निर्वाचित हुआ तो, मेरे कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 ईक्विटी शेयर रखूंगा; तथा
 - ख. मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा (viii) सूचना प्रौद्योगिकी (ix) रिटेल बैंकिंग (x) मानव संसाधन प्रबंधन (xi) जोखिम प्रबंधन या अन्य का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी होगा) का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कर्मचारियों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हूँ तथा
 - ग. मैं _____ से _____ क्रमांकित नामांकन को स्वीकार करता हूँ;
 - घ. मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ;
 - ङ. मुझे बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2004 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक की संबंधित अधिसूचनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; और
 - च. मैं न तो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हूँ और न ही किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ; और
- मैं यह भी घोषित करता हूँ कि
- छ. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी के रूप में घोषित नहीं किया गया है।
 - ज. मुझे किसी भी समय दीवालिया नहीं माना गया है या लेनदार के साथ गणना नहीं की गई है अथवा ऋण अदा नहीं करने वाला नहीं माना गया है।
 - झ. मुझे कभी भी विक्षिप्त अथवा अस्वस्थ मन का नहीं पाया गया है और न ही ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा कभी भी अपराधी नहीं घोषित किया गया है और मुझे आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी अपराध के लिए अपराधी घोषित नहीं किया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो और
 - ञ. मैं किसी भी प्रकार की किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, लीजिंग और अन्य पैराबैंकिंग गतिविधियों, एम.पी., एम.एल.ए., एम.एल.सी. और स्टॉक ब्रोकर से संबद्ध नहीं हूँ।
 - ट. मैं किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या बीमा कंपनी में निदेशक नहीं हूँ।
 - ठ. मैं पूर्व में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्थान या भारतीय रिजर्व बैंक या बीमा कंपनी के निदेशक मंडल पर किसी भी श्रेणी में दो टर्म के लिए अथवा छह वर्ष के लिए, जो भी अधिक हो चाहे विराम के साथ या निरंतर निदेशक नहीं रहा हूँ।
 - ड. मैं पूर्व में इस बैंक के निदेशक मंडल पर किसी भी श्रेणी में दो टर्म के लिए अथवा छह वर्ष के लिए, जो भी अधिक हो निदेशक नहीं रहा हूँ।
 - ढ. चयन होने के तुरंत बाद मैं बैंक के साथ पेशेवर संबंध, यदि कुछ हो, से पृथक हो जाऊंगा और निदेशक के रूप में मेरी अवधि के दौरान और इसके उपरांत दो वर्ष की अवधि हेतु बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं रखूंगा।
 - ण. मैं इस घोषणा के बाद यहां दी गई जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी में यदि परिवर्तन होता है तो उसे बैंक को यथासंभव शीघ्र अवगत कराने का तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचित होने पर प्रसविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ।

- त. मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद धारित करने तक समय समय पर संशोधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं एवं विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।
- थ. मैं अन्य कंपनी/ बैंकों में मेरे वर्तमान व अतीत के निदेशकत्व के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत करता हूँ।

कंपनी, बैंक इत्यादि का नाम	निदेशकत्व के ब्यौरे यथा अवधि, कार्यकाल

- द. मैं अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न कर रहा हूँ जो कि मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है; और

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि बेकागजीकृत नहीं है तो)	
डी.पी.आई.डी. क्र. तथा ग्राहक आईडी क्र. (यदि बेकागजीकृत है तो)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.

नाम : _____

मुहर के साथ हस्ताक्षर

तिथि : _____

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, ऐश्वर्योरेस के रजिस्ट्रार अथवा सब- रजिस्ट्रार, या राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या (बैंक ऑफ महाराष्ट्र या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) के अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर

* जो भी लागू हैं उसे चिह्नित करें

नोट- यदि आवश्यक हो उचित संशोधन/ डिलीट करें।



DECLARATION

(By the Candidate)
(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, _____ son / daughter / wife of Shri. /Smt. _____, a resident of _____
_____ hereby confirm that:

- I am a Shareholder holding _____ equity shares of ₹ 10/- each of the Bank as on **Monday, 24th May, 2021** i.e., the **Specified Date** for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected;
- I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or (viii) Information Technology (ix) Retail Banking (x) Human Resources Management (xi) Risk Management or any other special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, **or** farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials;
- I accept the nominations numbered from _____ to _____;
- I am willing to contest for the election of Director of Bank of Maharashtra;
- I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, The Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, relevant notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks;
- I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

I further declare that:

- I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court;
- I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors, and
- I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude, and
- I am not connected with any hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers;
- I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company;
- I have not been a Director on the Board of any Public Sector Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer whether intermittently or continuously;
- I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer;
- I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- I undertake to comply with relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as Director of the Bank; and
- I give below the details of my present as well as past directorship details in other Companies/ Banks:

Name of the Company/ Bank etc.	Directorship details viz., tenure, period etc.

r. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No (If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No (if Dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Name : _____

Date : _____

Signature with Seal

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or (Bank of Maharashtra or any Nationalised Bank).

* Tick whichever is applicable

Note- modify suitably / delete if necessary.



यहां पासपोर्ट
आकार का फोटो
चिपकाएं

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फॉर्म)

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र
बैंक का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

..... 2021 की स्थिति के अनुसार उचित अनुलग्नक सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र	
I.	उम्मीदवार के व्यक्तिगत विवरण
1.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2.	पिता का नाम (पूरा)
3.	लिंग
4.	वर्तमान पता
5.	ई-मेल आई डी तथा वैकल्पिक ई-मेल आई डी: एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन क्रमांक : मोबाइल क्रमांक :
6.	राष्ट्रियता
7.	जन्मतिथि
8.	शैक्षिक योग्यता (कृपया जानकारी का समर्थन करने वाले प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)।
9.	निदेशक पहचान क्रमांक :
10.	आधार क्रमांक :
11.	1. आय कर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता क्रमांक (पैन) (कृपया एक प्रति जोड़े)। 2. आय कर परिमंडल / मंडल जहां व्यक्तिगत कर विवरण फाईल की जाती है वहां का नाम व पता। 3. पिछले 3 वर्षों के लिए आयकर रिटर्न तथा करों के भुगतान की जानकारी।
12.	स्थायी पता
13.	एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण, अर्थात् अकाउंटसी, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि लघु उद्योग, अथवा सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान व निपटान प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या अन्य का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा, का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है।
14.	वर्तमान व्यवसाय (पद, संस्था का नाम, अनुभव पर संक्षेप जानकारी)
15.	जिसमें कार्य किया गया उस संस्था के पूर्ण पते, कार्य ग्रहण की दिनांक, भारमुक्त होने की दिनांक (कारण सहित), पद इत्यादि सहित पिछले न्यूनतम दस वर्षों में किए गए व्यवसाय
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित दर्शाएँ (1) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) का सदस्य क्रमांक (2) आईसीएआई में पंजीकरण की दिनांक (3) पंजीकृत फर्म का नाम व पता (4) वर्तमान में फर्म या आपके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा का ब्यौरा

17.	जहाँ आप प्राथमिक खाताधारक (बचत/चालू/ऋण खाता) हो उस बैंक का नाम शाखा तथा खाता क्रमांक सहित	
18.	आपके, आपकी पत्नी/पति या अवयस्क बच्चे द्वारा यदि किसी रूप में, या तो भौतिक या डिमैट रूप में रखा गया हो, शेयर धारिता का ब्यौरा (डीमैट / शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
19.	बैंक के निदेशक के रूप में सम्बंधित कोई अन्य जानकारी	
II.	प्रस्तावित निदेशक का प्रासंगिक सम्बंध	
20.	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची, {(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) तथा नियम, 2014 कंपनी के नियम 4 देखें (परिभाषा का विनिर्दिष्टीकरण)}; यदि हो तो, जो बैंक से किसी भी रूप में संबद्ध है	
21.	इकाईयों की सूची जिसमें: (क) इच्छुक [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]: (ख) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम भी देखें]: (ग) ट्रस्टी (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):	
22.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) 4 के अर्थ में पर्याप्त रुचि है।	
	कंपनी/ फर्म का नाम	
	निगमनो का देश	
	शेयरों की संख्या	
	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	
	शेयर होल्डिंग का कुल अंकित मूल्य	
	कुल धारिता के % के रूप में शेयरधारिता	
	लाभकारी हित	
	क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी है	
23.	विदेशों में निगमित संस्थाओं और भारत में व्यवसाय का स्थान रखने वाली संस्थाओं में धारिता का विवरण।	
24.	बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या अतीत में बोर्ड के सदस्य/सलाहकार आदि (उस अवधि का विवरण देते हुए जिसके दौरान ऐसा कार्यालय/कार्य किया गया है)।	
25.	यदि किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों (एसोसिएशन की प्रकृति का उल्लेख किया जाना है) करने वाली किसी इकाई से जुड़ा है, तो उसका विवरण।	
26.	यदि कोई स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में लगी किसी संस्था से जुड़ा है, तो उसका विवरण।	
27.	निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से और/या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त किया गया है।	
28.	मामले, यदि कोई हों, जहां एक व्यक्ति या ऊपर (21) से (26) तक सूचीबद्ध संस्थाओं ने किसी बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में चूक या जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित किया है।	
III	व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख	
29.	निदेशक पद हेतु संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	

IV.	प्रस्ताविक निदेशक के प्रति कार्यवाही, यदि कोई हो तो	
30.	(क) यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है, और यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाई लंबित है या आरंभ हुई है या पूर्व में दोष सिद्ध हुआ हो, तो उसका ब्योरा दें या किसी समय किसी व्यवसाय/व्यापार में प्रवेश हेतु उस पर प्रतिबंध लगाया गया हो (ख) यदि उम्मीदवार व्यावसायिक के विरुद्ध कोई लिखित शिकायत है या दोष होने के मामले में, इसका ब्योरा दें।	
31.	(21) और (26) में सूचीबद्ध किसी उम्मीदवार और / या इकाई के विरुद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमावली के उल्लंघन हेतु प्रलंबित या आरंभ की गई या पूर्व में अपराधी ठहराए जाने के फलस्वरूप अभियोजन का ब्योरा, यदि कुछ हो तो।	
32.	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाए गए या दोष सिद्ध परिणत हुए आपराधिक मुकदमों का ब्योरा दें।	
33.	यदि एएमएल/ सीएफटी के दिशानिर्देशों के किसी उल्लंघन में संलिप्त हो, तो उसका विवरण दें।	
34.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अंतर्गत उल्लेख की गई कोई भी अयोग्यता क्या उम्मीदवार पर लागू है ?	
35.	यदि दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या भुगतान निलंबित कर दिया है या ऋणदाताओं के साथ समझौता किया है, तो उसका विवरण दें।	
36.	यदि मानसिक स्थिति ठीक नहीं पाई जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण दें।	
37.	(क) उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाए गए या दोष सिद्ध परिणत हुए आपराधिक मुकदमों का ब्योरा (ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसका ब्योरा क्या है?	
38.	पूर्ण कालिक निदेशक के पद को धारण करने के अलावा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, के अंतर्गत यदि कोई लाभ का पद धारण किया हो, तो उसका विवरण दें।	
39.	क्या उक्त (21) और (26) की कोई भी इकाई या उम्मीदवार को किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के संदर्भ पर किसी जांच के अधीन रखा गया है ? तो विवरण दें।	
40.	क्या उम्मीदवार किसी भी समय नियमों/ अधिनियमों/ सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आय कर/विदेशी मुद्रा विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है; यदि ऐसा है तो विवरण दें।	
41.	यदि व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण किसी भी नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत द्वारा फटकार, निंदा, प्रतिबंधित, निलंबित, वर्जित, आदेश, या अन्यथा स्वीकृत किया गया हो, तो उसका विवरण। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियंत्रक द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख किया जाए जो कि बाद में वापस ले लिए गए/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए, तथापि ऐसी स्थिति में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा जबकि वापस लेना / समाप्त करना किसी तकनीकी कारण यथा परिसीमन या न्यायक्षेत्र के अभाव आदि से हुआ हो और योग्यता के आधार पर न हो. यदि विनियामक के आदेश पर अस्थायी रोक लगी है और अपील/ न्यायालय की कार्यवाहियां प्रलंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाए।	
V.	सामान्य जानकारी	
42.	यदि कोई व्यावसायिक जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट, एडवोकेट आदि और वर्तमान में किसी बैंक में कोई व्यावसायिक कार्य कर रहा है/कर रहा है, तो उसका विवरण प्रदान करें जिसमें बैंक का नाम और बैंक के साथ सहकार्य की अवधि शामिल है।	
43.	यदि कोई मौजूदा सांसद/विधायक/एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारण किया है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	

VI.	प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, 'उपयुक्त और उचित' का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी होनी चाहिए, उसका विवरण प्रदान करें।	
<p style="text-align: center;">वचनपत्र</p> <p>मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में अपने निर्वाचन के उपरांत संपन्न ऐसी समस्त गतिविधियों, जो कि उक्त उपलब्ध कराई गई जानकारी से संबंधित है, उन्हें बैंक को यथासंभव शीघ्रता से पूर्णतः अवगत कराने का वचन देता हूँ।</p> <p>मैं बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले 'अपेक्षित विधिक विलेख' के निष्पादन का भी वचन देता हूँ।</p> <p>दिनांक : _____</p> <p>स्थान : _____ उम्मीदवार के हस्ताक्षर</p>		
<p>संलग्नक :</p> <ol style="list-style-type: none"> जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त न हो वहां कृपया कालानुक्रमिक रूप से और समुचित प्रतिसंदर्भ सहित जानकारी अनुबंध के रूप में संलग्न करें। प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है। 		
<p>नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ बोर्ड की टिप्पणी जिसमें वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उपर्युक्त जानकारी पूर्ण व उचित है।</p>		
<p>स्थान : _____</p> <p>दिनांक : _____</p>	<p style="text-align: center;">एनआरसी/ बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर</p>	



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(PDU FORM PRESCRIBED BY RBI)

Affix passport
size photo
here

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of the Bank: Bank of Maharashtra

Sr. No.	Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2021	
I.	Personal details of the candidate	
1.	Full Name (in capital letters)	
2.	Fathers Name (in Full)	
3.	Gender	
4.	Present address	
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:	
6.	Nationality	
7.	Date of Birth	
8.	Educational Qualifications (Please attach self-attested copies of the certificates supporting the information).	
9.	Director Identification Number	
10.	Aadhar Number	
11.	1. Permanent Account Number under the Income Tax Act (please enclose a copy). 2. Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed. 3. Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	
12.	Permanent address	
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.	
14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)	
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.	

16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI: (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:																	
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:																	
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)																	
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:																	
II.	Relevant Relationships of proposed director																	
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:																	
21.	List of entities in which: (a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):																	
22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)4 of the Banking Regulation Act, 1949. Country of incorporation Number of shares Face value of each shares Total face value of share holding Shareholding as % of total holding Beneficial interest Whether the entity is a Section 8 company under Companies Act, 2013	<table border="1"> <tr> <td>Name of Company/ Firm</td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	Name of Company/ Firm															
Name of Company/ Firm																		
23	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.																	
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).																	
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.																	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.																	
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.																	

	28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.	
III.	Records of professional achievements		
	29.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV.	Proceedings, if any, against the proposed director		
	30.	(a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof.	
		(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
	31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
	32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
	33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
	34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
	35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
	36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
	37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
		(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
	38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
	39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
	40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
	41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court</i>	

V.	General Information	
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI.	In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.	
<p align="center">UNDERTAKING</p> <p>I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.</p> <p>I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the Bank.</p> <p>Place : Date : Signature of Candidate</p> <p>Enclosures:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate. 		
Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.		
Date: Place:		Signature of the Chair of the NRC / Board



निगमित अभिशासन में हरित पहल - कागजरहित बनें !!

निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार (मंत्रालय) द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों द्वारा कागज रहित अनुपालन की अनुमति देकर 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हरित पहल' की है। हाल के परिपत्रों के संदर्भ में क्र.17/2011, दिनांक 21.04.2011 और 18/2011 दिनांक 29.04.2011, जिसके तहत कंपनियां अब पंजीकृत ई-मेल शेयरधारकों के पते पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिस/ दस्तावेज (जैसे एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट आदि) भेज सकती हैं। यह बड़े पैमाने पर बैंक, शेयरधारकों और समाज के लिए एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यह तेजी से संचार की सुविधा प्रदान करेगा और कागज की खपत को काफी हद तक कम करेगा और शेयरधारकों को हरित वातावरण में योगदान करने की अनुमति देगा।

ई-संप्रेषण हेतु पंजीकरण के फायदे

- तुरंत संचार प्राप्त करें;
- कागज की खपत कम करें और पेड़ों को बचाएं;
- डाक प्रेषण में दस्तावेज के नुकसान से बचें;
- कागज और डाक पर लागत बचाएं।

यह हरित पहल में योगदान करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) के प्रत्येक शेयरधारक के लिए एक सुनहरा अवसर है।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें नीचे दी गई हैं:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए: कृपया, भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संचार प्राप्त करने के लिए बैंक / आरटीए के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं और एजीएम नोटिस में दिए गए ईमेल आईडी पंजीकरण फॉर्म को विधिवत भरकर इसे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को हस्ताक्षरित कर वापस भेजें।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए: अपने निक्षेपागार सहयोगी (डिपोजिटरी पार्टिसीपेंट) या बैंक के साथ अपना ईमेल पता अपडेट करें।

कृपया ध्यान दें कि, यदि आप अभी भी सभी संचार और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी / भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो बैंक आपको बिना किसी अतिरिक्त लागत के इसे प्रदान करेगा।

आप हमारी वेबसाइट <https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp> से ईमेल आईडी पंजीकरण फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं।

इस हरित पहल में आपकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है।

धन्यवाद

भवदीय,

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

हस्ताक्षर

(चन्द्रकांत भागवत)

कंपनी सचिव



GREEN INITIATIVE IN CORPORATE GOVERNANCE - GO PAPERLESS!!!

Dear Shareholder,

The Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('Ministry'), has recently taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In terms of the recent circulars bearing no. 17/2011, dated 21.04.2011 and 18/2011 dated, 29.04.2011, whereby companies can now send various notices/ documents (e.g. Notice of AGM, Annual Reports etc.) to their shareholders through electronic mode at the registered e-mail addresses of the shareholders. It is a welcome move for the Bank, Shareholders and Society at large as it will facilitate faster communication and reduce paper consumption to a great extent and allow shareholders to contribute towards the greener environment.

Advantages of Registering for E-Communication:

- Receive communication promptly;
- Reduce paper consumption and save trees;
- Avoid loss of document in postal transit;
- Save costs on paper and postage.

This is also a golden opportunity for every Shareholder of Bank of Maharashtra (the Bank) to contribute to this green initiative.

Below are the requirements for availing this facility:

- For shareholders having shares in physical mode: Please get your e-mail ID registered with the Bank/ RTA to receive communication(s) through electronic mode in future, by filing up the Email ID Registration form given in AGM Notice and send it back to the Registrar & Transfer Agent duly filled in and signed.
- For shareholders having shares in dematerialized mode: Please update your email ID with your Depository Participant(s) or Bank.

Kindly note that, if you still wish to get a hard copy/ physical copy of all the communication and documents, the Bank will provide the same at no extra cost to you.

You can also download the Email ID Registration form from our website <https://www.bankofmaharashtra.in/Share-holders-Meeting-Updates.asp>

Looking forward to your active participation in this green initiative.

Thanking you.

Yours sincerely,

For Bank of Maharashtra

Sd/-

(Chandrakant Bhagwat)

Company Secretary



निगमित अभिशासन में हरित पहल - कागजरहित बनें!!!

ईमेल आईडी पंजीकरण फार्म

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (आरटीए)

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आफिस नं.201, डी-विंग, 2 री मंजील, गोकुल इंडस्ट्रियल ईस्टेट, सगबाग,
मारोल को-ऑप इंडस्ट्रियल एरिया, बी/एच टाइट स्वेयर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ३० 400059

टेलीफोन : (022) 28516020/21/22

ईमेल : helpdesknum@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय : ईमेल आईडी का पंजीकरण

मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में बैंक से सभी भावी शेयरधारकों के संचार जैसे नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज आदि प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ। सभी सूचनाएं/ दस्तावेज आदि ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए कृपया मेरे ई-मेल आईडी को अपने अभिलेख में पंजीकृत करें।

1. प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	
2. रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक/ डीपीआईडी व ग्राहक क्र.	
3. पता	पिन कोड -
4. ई-मेल आईडी	
5. संपर्क क्रमांक	

नोट:

- 1) शेयरधारकों से अनुरोध है कि ईमेल पते में कोई भी परिवर्तन होने पर बैंक को सूचित करें। जब तक आपके द्वारा लिखित रूप में एक और संचार भेजकर, दी गई ई-मेल आईडी नहीं बदली जाती है, बैंक आपको उपरोक्त ई-मेल आईडी पर नोटिस, व्याख्यात्मक विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट/ दस्तावेज इत्यादि भेजना जारी रखेगा।
- 2) यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं, तो कृपया अपने डीपी के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करें।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं।

दिनांक:

स्थान:

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

GREEN INITIATIVE IN CORPORATE GOVERNANCE – GO PAPERLESS!!!

Email ID Registration form

To,

MCS Share Transfer Agent Limited (RTA)

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.201, D-Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate Building, Sagbaug,
Marol Co-op Industrial Area, Behind Times Square, Andheri (East), Mumbai – 400 059

Tel: (022) 28516020/21/22

Email: helpdesknum@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com

Dear Sir/ Madam,

Sub: Registration of Email ID

I agree to receive all future shareholders communication like Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ Documents etc. from the Bank in electronic mode. Please register my e-mail id in your records for sending all the notices / documents etc. through e-mail.

1.	First / Sole Shareholder's name:	
2.	Registered Folio No/ DP ID & Client ID.:	
3.	Address:	
	Pin code:	
4.	Email ID:	
5.	Contact Nos.:	

Notes:

- 1) Shareholders are requested to keep Bank informed as and when there are any changes in the email address. Unless the e-mail Id given is changed by you, by sending another communication in writing, the Bank will continue to send the Notice, Explanatory Statement/ Annual Report/ documents etc. to you on the above mentioned e-mail ID.
- 2) If shares are held in electronic mode, kindly register your e-mail ID with your DP.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

Date:

Place:

(Signature of Shareholder)



ईसीएस फॉर्म

(केवल भौतिक रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए)

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (आरटीए)

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आफिस नं.201, डी-विंग, 2 री मंजील, गोकुल इंडस्ट्रियल ईस्टेट, सगबाग,
मारोल को-ऑप इंडस्ट्रियल एरिया, बी/एच टाहम स्वेयर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059

टेलीफोन : (022) 28516020/21/22

ईमेल : helpdesknum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com

प्रिय महोदय/ महोदया,

विषय: डाक पते सहित बैंक खाता/ पैन / ईमेल आईडी के ब्यौरे का अद्यतन

मैं/ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरे/ हमारे फोलियो क्रमांक के सामने निम्नलिखित जानकारी को अद्यतीत करें :

1. प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	
2. रजिस्टर्ड फोलियो क्रमांक	
3. पता	
	पिन कोड -
4. ई-मेल आईडी	
5. पैन क्रमांक	
6. संपर्क क्रमांक	
7. बैंक खाते का विवरण	
क. बैंक का नाम	
ख. शाखा नाम और पता	
	पिन कोड -
ग. खाता क्रमांक	
घ. बैंक शाखा का आईएफएससी कूट	
ड. एमआईसीआर क्रमांक	

(उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना पता, पैन तथा निरस्त कोरा चेक (वर्तमान में सक्रिय खाते का) की फोटो कॉपी संलग्न करें)

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है.

दिनांक
स्थान

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

ECS Form

(for Shareholders holding physical shares only)

To,

MCS Share Transfer Agent Limited (RTA)

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.201, D-Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate Building, Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area,
Behind Times Square, Andheri (East), Mumbai – 400 059

Tel: 022 28516020/ 21/ 22/ 23

Email: helpdesk@mcsregistrars.com / subodh@mcsregistrars.com

Dear Sir/ Madam,

Sub: Updation of details of Bank Account / PAN/ Email ID along with postal address.

I/ We request you to record/ update the following information against my/ our Folio No:

1. First / Sole Shareholder's name:	
2. Registered Folio No.:	
3. Address:	
	Pin code:
4. Email ID:	
5. PAN No.:	
6. Contact Nos.:	
7. Particulars of Bank Account:	
a. Bank Name	
b. Branch Name and its address	
	Pin code:
c. Bank Account Number	
d. IFSC code of the Bank Branch	
e. MICR No.	

(Please enclosed self-attested copy of Address proof, PAN and cancelled Cheque (of presently active a/c) for verification of the above details).

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

Date:

Place:

(signature of Shareholder)



This page has been intentionally left blank





बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक